राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था
पंत कृषि भवन, जनपथ जयपुर–302005

अध्याय – 1

अपने संगठन की विशिष्टयॉ कृत्य एवं कर्तव्य –

1.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :–

1. बीज अधिनियम 1966 की धारा –5 अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों के उच्च आनुवंशिक शुद्वता व गुणवत्ता का बीज प्रमाणीकरण के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करना।

2. किसानों को प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण के माध्यम से बीज व जैविक उत्पादन प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी देकर प्रमाणित बीज/जैविक खेती के उपयोग को बढ़ाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना।

3. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूचि का संधारण कर बीज उत्पादकों व काश्तकारों को जानकारी उपलब्ध करवाना।
4. प्राकृतिक संसाधनों का खेती में समुचित उपयोग करते हुए प्रकृति व पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित रखने में एवं मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने, जल की गुणवत्ता एवं जैव विविधता बनाये रखने को सुनिश्तिच करने में सहयोग प्रदान करना।
5. जैविक उत्पाद को घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के छोटे व मंझोले जैविक उत्पादक को एकल या समूह के रूप में प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित कर उनके उत्पाद को प्रमाणन करना तथा उत्पादक व उपभोक्ता के बीच विश्वास को बढाना।

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन :–

1. कृषि फसलों के प्रमाणित बीज के उत्पादन को बढाने को प्रोत्साहित कर बीज प्रस्थापन दर में वृद्वि करना जिससे खाद्यान्न, दलहन, तिहलन का उत्पादन व उत्पादकता बढे ताकि कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
2. पंजीकृत बीज उत्पादकों द्वारा बोए गए बीज उत्पादक क्षेत्रों का निरीक्षण कर बीज की भौतिक व आनुवांशिक शुद्वता सुनिश्चित करना।
3. मानक बीज उत्पादन क्षेत्रों से प्राप्त रॉ बीज का बीज संयंत्रों द्वारा विधायन कर बीज की अंकुरण क्षमता व भौतिक शुद्वता में सुधार को सुनिश्चित करना।
4. प्रमाणित बीजों की अधिशेष मात्रा का पुनः परीक्षण करवाकर अंकुरण क्षमता व भौतिक शुद्वता सुनिश्चित करना।

5. कृषकों के तकनीकी ज्ञान में वृद्वि करनें, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बीज उत्पादन का विस्तार करने एवं राज्य को प्रमाणित बीज उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने में सहयोग करना।
6. राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था को जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी.) के तहत एपीड़ा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निरीक्षण व प्रमाणीकरण कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया गया है। यह संस्था आई. एस.ओ. 65 के दिशा निर्देशों के अनुरूप जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है तथा जैविक कृषकों/उत्पादकों को अपेक्षाकृत कम प्रमाणीकरण शुल्क पर ही पारदर्शी, विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा प्रमाणीकरण के क्षेत्र में उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है।

2.3 लोक प्राधिकरण–राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण सस्था का संक्षिप्त इतिहास व उसके गठन का प्रसंगः–

(क) वर्ष 1977 से पूर्व राज्य में बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय बीज निगम व भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा सम्पादित किया जाता था। बीज के प्रमाणीकरण का समस्त कार्य राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किया जाता था।

(ख) प्रमाणित बीज का उत्पादन बढाने व गुणवत्ता को और अधिक सुनिश्चित करने हेतु बीज उत्पादन व प्रमाणीकरण का कार्य अलग अलग स्वतत्र संस्थाओ से करवाये जाने पर विचार किया गया। अतः राष्ट्रीय बीज परियोजना फेज – II के तहत राजस्थान में एक स्वतंत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था के गठन की योजना बनाई गई।

(ग) बीज अधिनियम, 1966 की धारा 8 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1976 में राज्य में राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई एवं इसका पंजीकरण सोसाइटीज एक्ट, 1958 में करवाया गया।

(घ) बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचित फसल/किस्मों के बीज के प्रमाणीकरण का उत्तरदायित्व इस संस्था को दिया गया जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य को रखा गया।

(च) संस्था अपने स्थापना काल से ही स्ववित्त पोषित संस्था के रूप में न लाभ न हानि के आधार पर कार्य कर रही है।

(छ) कालान्तर में राज्य में जैविक खेती को बढावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य में जैविक उत्पादन के प्रमाणीकरण हेतु एक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 2004–05 में जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण का कार्य किये जाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को दिया गया।

(ज) अतः वर्ष 2004–05 में राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था का नाम परिवर्तित कर राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था

कर दिया गया। जिसका पंजीकरण सोसायटीज एक्ट 1958 में करवाया गया एवं सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूसचित किया गया।

(झ) जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण करने हेतु भारत सरकार की संस्थान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण संस्थान (ऐपीडा) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। ऐपीडा की वांछनानुसार राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मण्डल द्वारा जैविक प्रमाणीकरण हेतु इस संस्था के अधीन ही राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था (ROCA) का वर्ष 2005 में गठन किया एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में इसके गठन को अधिसूचित किया गया। राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था का सम्पूर्ण वित्त पोषण राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया गया है।

(अ) एपीडा, (भारत सरकार) द्वारा राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था को क्रमांक एनपीओपी/एनएबी/0013 दिनांक 10.102007 द्वारा मान्यता (एक्रीडेशन) प्रदान की गई (मान्यता प्रमाण पत्र परिशिष्ठ–2 पर संलग्न है)। जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण का कार्य राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वर्ष 2007 से आरम्भ कर दिया गया एवं इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत रखा गया है।

(ब) बीज अधिनियम के तहत बीज का प्रमाणीकरण करवाना एक स्वैच्छिक कार्य है फिर भी राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अपनी स्थापना से अब तक राज्य में बीज प्रमाणीकरण कार्य में 20 गुणा तक वृद्वि की है, निम्न प्रकार है।

वर्ष	निरीक्षित क्षेत्र (है0)	प्रमाणित बीज (क्वि0)
1978	12000	50046
1980-81	17356	163806
1991-92	29049	250070
2000-01	56811	560461
2005-06	79112	937038
2006-07	87850	1199004
2007-08	105819	1349969
2008-09	112589	1356589

2.4 लोक प्राधिकरण राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के कर्तव्यः–

2.4.1 बीज उत्पादक द्वारा आवेदन किये जाने पर राज्य में उत्पादित किये जाने वाले बीज की प्रमाणीकरण के माध्यम से आंनुवांशिक व भौतिक शुद्धता तथा अंकुरण क्षमता को बीज अधिनियम, 1966 में निर्धारित न्यूनतम प्रमाणीकरण मानको के अनुरूप सुनिश्चित करना।

2.4.2 पूर्व वर्षो के अधिशेष रहे प्रमाणित/आधार बीज की गुणवत्ता की जॉच कर न्यूनतम निर्धारित मानको के आधार पर पुनः उपयोग किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रमाणित/आधार बीज का पुनर्मान्यकरण करना।

2.4.3 कृषको में प्रमाणित बीज के महत्व एवं उसके अधिक से अधिक उपयोग किये जाने के संबंध में तथा बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया से प्रशिक्षण के माध्यम से जागृति उत्पन्न करना।

2.4.4 भारत सरकार द्वारा बीज अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचित किस्मो की सूची का संधारण कर प्रकाशन के माध्यम से कृषको में योग्य उपयुक्त किस्मों को प्रचारित करना।

2.4.5 राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से राज्य व देश के कृषको/जैविक उत्पादकों के जैविक उत्पादन कार्यक्रम को एन.पी.आ.पी. के तहत अपेक्षाकृत कम प्रमाणीकरण शुल्क पर उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली प्रमाणीकरण सेवाऐं प्रदान करना जिससे उत्पादक व उपभोक्ता को कम मूल्य पर जैविक उत्पाद उपलब्ध हो सके इससे दोनो के बीच विश्वास बढ सके।

2.5 लोक प्राधिकरण राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के मुख्य कृत्यः–

बीज प्रमाणीकरण :– बीज अधिनियम 1966 के अनुसार प्रमाणीकरण एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। अतः बीज उत्पादन संस्था या कृषक द्वारा चाहे जाने पर बीज प्रमाणीकरण संस्था बीज अधिनियम, 1966 में निर्धारित प्रक्रिया एवं मानक के अनुसार पाये जाने पर व केन्द्रयी बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा समय–समय पर दिये निर्देशानुसार बीज को प्रमाणित करती है। इस प्रक्रिया के निम्न चरण हैः –

(1) बीज उत्पादक संस्था द्वारा बीज उत्पादन कृषको की सूची प्रस्तुत कर निर्धारित पंजीकरण व निरीक्षण शुल्क के साथ संस्था में पंजीकरण करवाया जाता है। प्रमाणीकरण संस्था द्वारा न्यूनतम प्रमाणीकरण मानक में निर्धारित संख्या के अनुसार खड़ी फसल का निरीक्षण किया जाता है। जिसमें प्रथम निरीक्षण पर उपयोग किये गये प्रजनक/आधर बीज के स्त्रोत का सत्यापन, आवश्यक पृथकरण दूरी की पुष्टि की जाती है। अन्य निरीक्षण में अवांछित पौधे, रोग ग्रस्त, अन्य फसल पौधे आदि की गणना कर क्षेत्र स्तर पर फसल का निर्धारण न्यूनतम क्षेत्र मानक के अनुसार मुल्यांकन कर फसल को प्रमाणीकरण हेतु योग्य/अयोग्य घोषित किया जाता है, तथा योग्य पाये जाने पर फसल की स्थिति अनुसार अनुमानित उपज का आंकलन किया जाता है। योग्य घोषित फसल की उपज को अनुमानित उपज अनुसार विधायन संयत्र पर उत्पादन संस्था द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्राप्त रॉ बीज का प्रमाणीकरण संस्था के यहॉ पंजीकृत विधायन संयंत्र पर संस्था के प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण में विधायन किया जाकर विधायित बीज का नमूना जॉच हेतु अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजा जाता है। जहॉ बीज की अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता, रोगग्रस्त बीजो की संख्या, बीज में नमी प्रतिशत की जॉच कर परिणाम प्रमाणीकरण संस्था को भेजे जाते है। आधार बीज व संकर किस्मों की आनुवांशिक

शुद्धता की जॉच ग्रो आउट टैस्ट (खेत में बीज उगाकर) लगाकर की जाती है। ऐसे बीज के ग्रो आउट टैस्ट में मानक पाये जाने पर व अन्य न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के अनुसार पाये जाने पर प्रमाणीकरण संस्था बीज को प्रमाणित कर बीज अधिनियम, 1966 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करती है तथा बीज की थैली/कट्टे पर बीज उत्पादन संस्था का हरा लेबल जिस पर बीज के लिए निर्धारित न्यूनतम मानक अंकित होते है के साथ प्रमाणित बीज हेतु नीला व आधार बीज हेतु सफेद टैग लगाया जाता है राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था को जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) के तहत ऐपीडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप निरीक्षण व प्रमाणीकरण कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया गया है। यह संस्था सरकार क्षेत्र की दूसरी जैविक प्रमाणीकरण संस्था है जो आई.एस.ओ. 65 के दिशा निर्देशों के अनुरूप जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है। जैविक कृषको/उत्पादको को अपेक्षाकृत कम प्रमाणीकरण शुल्क पर ही पारदर्शी, विश्वसनीय, निष्पक्ष तथा प्रमाणीकरण के क्षेत्र में उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाली सेवाऐं प्रदान करने के लिए यह संस्था कृत संकल्प है।

2.6 लोकप्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा राज्य में निम्न सेवाऐं प्रदान की जाती है –

1. अधिसूचित फसल/किस्म के बीज का प्रमाणीकरण – भारत सरकार द्वारा नव विकसित फसल/किस्म की उपादेयता व उत्पादकता की विभिन्न स्तरों पर जॉच कर उपयुक्त पाये जाने पर बीज अधिनियम की धारा 5 के तहत ऐसी फसल/किस्म को राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। प्रमाणीकरण संस्था द्वारा ऐसी अधिसूचित फसल/किस्म के बीज को प्रमाणित करने की कार्यवाही संबंधित बीज उत्पादक/बीज उत्पादक संस्था द्वारा वांछना किये जाने पर की जाती है।
2. पुनर्मान्यकरण :– पूर्व के शेष बचे एवं अवधिपार आधार/प्रमाणित बीज के विक्रय से पूर्व पूनर्मान्यकरण करवाया जाना आवश्यक होता है। बीज धारक द्वारा आवेदन करने पर प्रमाणीकरण संस्था द्वारा ऐसे अवधिपार बीज के पुनः नमूने लेकर अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशाला से अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता व कीट ग्रसतता की जॉच करवाई जाती है। न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक में निर्धारित मानकानुसार पाये जाने पर ही ऐसे अधिशेष बीज की अवधि पुनः 6 माह के लिए बढाई जा सकती है।
3. बीज उत्पादन संस्था का पंजीकरण :– बीज उत्पादन कार्य का प्रमाणीकरण करवाने की इच्छुक संस्थाऐं/उत्पादक अपना पंजीकरण राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था से करवा सकती है, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना होता है। पंजीकरण हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र का व जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र तथा पंजीकरण हेतु वसूल की जाने वाली राशि का पंजीकरण के समय बीज उत्पादन संस्था

को एक निश्चित स्थाई पंजीकरण संख्या का आवंटन किया जाता है। इसमें उपयोग की गई संख्या का विश्लेषण निम्न प्रकार से रहेगा।

पंजीकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का इकाई प्रभारी द्वारा मुल्यांकन कर आवश्क अनुसंशा मुख्यालय को की जाती है जिसके आधार पर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सितम्बर, 2010 तक 215 बीज उत्पादन संस्थाऐं इस संस्था के यहॉ पंजीकृत है।

4. बीज विधायन संयत्र का पंजीकरण :– बीज के प्रमाणीकरण में उत्पादित बीज की गुणवत्ता बढाने हेतु उत्पादित किये गये रॉ बीज का यंत्रों द्वारा श्रेणीकरण (ग्रेडिग) व पैकिंग किया जाना एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य है। इन यंत्रो अर्थात विधायन संयत्र का पंजीकरण प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाकर एक निश्चित संख्या आबंटित की जाती है जो प्रमाणित बीज की पहचान हेतु एक आवश्यक घटक है। इस पंजीकरण का प्रत्येक वर्ष पुनः नवीनीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु संस्था के प्रतिनिधि द्वारा विधायन संयत्र का निरीक्षण कर मुल्यांकन किया जाता है व इस मुल्यांकन में प्राप्त हुए अंको के आधार पर विधायन संयत्रों को श्रेणी/रैंक आवंटित की जाती है, CS (न्यूनतम 50 अंक) व उससे उपर श्रेणी प्राप्त विधायन संयत्र का पंजीकरण/नवीनीकरण ही किया जाता है। फरवरी, 2008 तक इस संस्था के पास 191 बीज विधायन संयत्र पंजीकृत है,
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम :– बीज/जैविक उत्पादन व प्रमाणीकरण की प्रक्रिया व तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने तथा प्रमाणीकरण कार्यक्रम में होने वाले नवीनतम विकास/परिवर्तन की जानकारी देने हेतु समय समय पर बीज उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था की प्रत्येक इकाई के द्वारा बीज उत्पादन क्षेत्रों में आयोजित किये जाते है।
6. बीज प्रमाणीकरण इस संस्था का प्रमुख दायित्व है जिसको निम्न विधियों से संपादित किया जाता है :–

1. प्रमाणीकरण संस्था के तकनीकी अधिकारियों द्वारा :– बीज उत्पादन क्षेत्रों के निरीक्षण का कार्य, बीज विधायन के कार्य का पर्यवेक्षण, बीज उपचार व पैकिंग का कार्य एवं अवधिपार बीज के पुनर्मान्यकरण का कार्य मुख्य रूप से प्रमाणीकरण संस्था के तकनीकी अधिकारियों द्वारा ही सम्पादित किया जाता है।
2. स्वः प्रमाणीकरण प्रक्रिया :– राजस्थान राज्य बीज निगम के सक्षम योग्यताधारी तकनीकी अधिकारियों को निगम के ही बीज उत्पादन कार्यक्रम के प्रमाणीकरण को करने हेतु अधिकृत किया जाता है। ये अधिकृत अधिकारी बीज निगम के उत्पादन कार्यक्रम के क्षेत्र निरीक्षण व विधायन कार्य का पर्यवेक्षण का कार्य भी सम्पादित करते है।
3. कृषि विभाग के योग्यताधारी तकनीकी अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर बीज उत्पादन क्षेत्र के क्षेत्र निरीक्षण का कार्य आबंटित किया जाता है। जिसके अनुसार इन अधिकृत अधिकारियों द्वारा खड़ी फसल का क्षेत्र निरीक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है।
4. संविदा पर बीज प्रमाणीकरण :– भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्म्स व राजस्थान राज्य बीज निगम की कुछ इकाईयों के बीज उत्पादन क्षेत्र पर प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित करने हेतु पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से योग्यताधारी तकनीकी अधिकारियों की सेवाये प्राप्त की गई

है। इन अधिकारियों को प्रमाणीकरण कार्य हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाकर उनसे संविदा के आधार पर प्रमाणीकरण कार्य करवाया जा रहा है।

5. राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था एकल व समूह के रूप में कृषकों को प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाती है ताकि ऐसे उत्पादों की विश्वसनीयता व साख जैविक बाजार में स्थापित हो तथा विपणन सुलभ हो सके। जैविक प्रमाणीकरण की मुख्य प्रक्रिया निम्न प्रकार है:–

   जैविक उत्पादक या तो एकल रूप से या समूह के रूप में प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ सकता है इसके लिए उत्पादक या उत्पादक समूह जैविक विधि से उत्पादन करने का इच्छुक हो तथा अपने उत्पादन में रासायनिक पदार्थो का उपयोग बिल्कुल नही करता हो। ऐसे जैविक उत्पादक अपने उत्पादन इकाई का सम्पूर्ण विवरण मय मानचित्र उत्पादन का प्रकार व अपनाई जाने वाली विधि का विवरण देकर संस्था में प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित शुल्क देकर अपना आवेदन संस्था में प्रस्तुत कर सकता है। समूह के रूप में जुड़ने के लिए छोट–छोटे उत्पादक आपस में सोसायटी बनाकर समूह का पंजीकरण सोसायटी या कंपनी एक्ट में कराकर समूह प्रमाणीकरण हेतु जैविक प्रमाणीकरण संस्था में अपना पंजीकरण करा सकते है। समूह के रूप में आवेदन के लिए सहभागी उत्पादन इकाईयों में आपस में भौगोलिक संन्निकटता व उनके उत्पादन का प्रकार भी लगभग एक समान होना चाहिए तथा सहभागी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए की जैविक उत्पादन का विक्रय संयुक्त रूप से समूह के निर्देशो के अनुरूप होगा। समूह के प्रभावी संचालन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का गठन किया जाना आवश्यक होता है। जिसमें समूह अपने कार्मिको को नियुक्त कर प्रत्येक को उत्तरदायित्व सोंप देगा जिसमें कार्मिक को अपनी भूमिका समूह संचालन के लिए मालूम हो सके। एकल या समूह के रूप में प्राप्त आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी संतोषजनक हो तो आवेदक का पंजीकरण किया जाता है। आवेदक यह शपथ पत्र देगा कि जैविक उत्पादन में वह राष्ट्रीय जैविक उत्पादक मानक (एन.एस.ओ.पी.) के अनुरूप प्रक्रिया अपनायेगा। संस्था प्रतिनिधि द्वारा उत्पादन इकाई व संधारित दस्तावेजो का निरीक्षण किया जाता है। जिसमें मानको की अनुपालना व अवहेलना का आंकलन कर एक अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है। यदि सुधार की आवश्यकता हो तो उत्पादक को उचित समय देकर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया जाता है। निर्धारित समय सीमा में आवश्यक सुधार कर लिये जाने व निरीक्षण व अंकेक्षण में खरा साबित होने तथा प्रमाणीकरण संस्था की संतुष्टि होने की स्थिति में प्रमाणीकरण संस्था द्वारा गठित प्रमाणीकरण कमेटी को जैविक प्रमाणीकरण की अनुशंसा की जाती है। इस अनुशंसा के आधार पर प्रमाणीकरण कमेटी अंतिम प्रमाणपत्र जारी कर उत्पादक को प्रमाणीकरण का इंडिया आर्गेनिक लोगो जारी कर देती है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में 1–3 वर्ष की अवधि लग सकती है।

2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढ़ांचा :–

राज्य सरकार :– प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर
(पदेन अध्यक्ष)
निदेशालय :– निदेशक, व पदेन सचिव

2.8 लोक प्राधिकरण को कार्य दक्षता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ :– बीज प्रमाणीकरण में सामान्य जन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता किन्तु राज्य के किसान जो बीज उत्पादन से जुड़े हैं या जुड़ने के इच्छुक अथवा समर्थ हैं वो बीज उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन कार्य कर सकते है। समय समय पर संस्था द्वारा दिये गये प्रशिक्षण व बीज उत्पादन निरीक्षण के समय उपलब्ध करवाई गई तकनीकी जानकारी का लाभ उठाकर अधिक से अधिक उत्पादकता व बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहभागी बन सकते है। अन्य कृषक या सामन्य जन भी यह अप्रत्यक्ष रूप से सुनिशिचित कर सकते है कि क्षेत्र में उत्पादित होने वाला बीज, उचित मानदण्डो के अनुरूप है।

2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था :–

2.10 जन सेवाओ के अनुश्रवण एवं शिकायतो के निराकरण की व्यवस्था :– शिकायत प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर पर निदेशक द्वारा एक समिति का गठन कर जॉच करवायी जाती है एवं जॉच में पाये गये तथ्यों के आधार पर तकनीकी शिकायत के मामले में बीज अधिनियम के प्रावधानानुसार व प्रशासकीय/वित्तीय शिकायत होने पर संस्था के सेवा नियम, 1980 सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम के प्रावधानानुसार शिकायत का निराकरण किया जाता है।

2.11 राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के कार्यालयों का विवरण :–

क्रसं	कार्यालय स्थान	पता	दूरभाष नंबर
1.	**निदेशालय, जयपुर**	**निदेशक,** राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर । **Email:** dir[dot]rssopca[at]rajasthan[dot]gov[dot]in **मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी**	**94140–07400** **0141–2227104** **0141–2227456 (फैक्स)** **0141–2227315**
2.	**श्रीगंगानगर**	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** 2 एफ 34,जवाहर नगर, श्रीगंगानगर	**0154–2460625, 97857–77762**
3.	**सूरतगढ**	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर रोड, सूरतगढ (श्रीगंगानगर) ।	**0159–220176, 80033–78499**
4.	**हनुमानगढ**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,**9/15, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन –335512 ।	**01552–262457, 94145–80274**
5.	**कोटा**	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** कारखाना बाग, पुलिस लाईन के पास, कोटा ।	**0744–2326518 , 97857–77993**

6.	**जयपुर**	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी**, कमरा नंबर 333,पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर ।	**0141–2227315, 94133–85489**
7.	**पीलीबंगा**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी**, वार्ड नंबर 15, औद्यौगिक क्षेत्र, पंजाब नेशनल बैक के पास पीलीबंगा (हनुमानगढ) ।	**01508–233983, 94145–80274**
8.	**घडसाना**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी**, 96 ए, न्यू धानमण्डी, रसेवट ट्रेडिंग कंपनी, नियर हनुमान मन्दिर घडसाना (श्री गंगानगर) ।	**94145–15781, 97852–20007**
9.	**भरतपुर**	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** नीमदा गेट, भरतपुर।	**05644–225823, 97857–77725**
10.	**अलवर**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** 3/458, कॉला कुँआ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर ।	**97857–77756**
11.	**अजमेर**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** प्लाट नंबर 7–ए, आदर्श नगर, पुलिस चौकी के सामने, अजमेर ।	**0145–2440830 पीपी** **97857–77728**
12.	**जोधपुर**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** 182–ए, पोलो– II, पावटा, जोधपुर ।	**0291–2552891,97857–77446**
13	**चित्तोडगढ**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** द्वारा–अजीत सिंह, म0न0–90,बिलोची मन्दिर के सामने, सिंधी कॉलोनी, प्रताप नगर, चित्तोडगढ ।	**97857–77729**
14.	**बांसवाडा**	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** बोरवट फार्म, दाहोद रोड, बांसवाडा।	**02962–243210पीपी** **94139–97744**
15	**खेरली**	**प्रभारी अधिकारी,** आर.एस.एस.ओ.पी.सी.ए., द्वारा श्रीमति आशा अग्रवाल, वार्ड नंबर 16, पोस्ट आफिस के पास, खेरली (अलवर) ।	**97857–77743**
16.	**झालावाड़**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,**	**9785777116**
17.	**बांरा**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,**	**9785777735**
18.	**उदयपुर**	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,**	**9785777122**

अध्याय – 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य

2.1 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य :–

पद का नाम – निदेशक

शक्तियॉ :–

प्रशासकीय :–

1. नियुक्ति का अधिकार
2. पदोन्नति का अधिकार
3. स्थानांतरण का अधिकार
4. शास्तियों का अधिकारी
5. नीतिगत को छोड़कर समस्त कार्य कलापों पर नियमानुसार निर्णय लेने का अधिकार
6. संस्थापन संबंधित सम्पूर्ण कार्य के निवारण का अधिकार

वित्तीय :–

1. सभी प्रकार के क्रय–विक्रय से संबंधित निर्णय करने का अधिकार
2. सभी प्रकार के बिल पारित करने का अधिकार
3. एकल हस्ताक्षर से 10 हजार तक का भुगतान करने की शक्ति
4. लेखाधिकारी के साथ असीमित राशि तक चैक से भुगतान करने की शक्ति
5. वेतन आहरण वितरण का अधिकार
6. यात्रा स्वीकृत करने का अधिकार

अन्य शक्तियॉः–

संचालक मण्डल द्वारा पारित दिशा निर्देशानुसार समस्त शक्तियॉ। तकनीकी प्रकरणों में नियमानुसार अंतिम निर्णय लेने का अधिकार।

कर्तव्य –

1. संचालक मण्डल के पदेन सचिव के रूप में संचालक मण्डल की साधारण एवं वार्षिक बैठकों का आयोजन करना।
2. संचालक मण्डल के समक्ष नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
3. संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित/प्रदत्त दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित करना।
4. बीज व जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण से संबंधित समस्त कार्यो का संचालन करना।
5. केन्द्र व राज्य सरकार से आवश्यक लाइजन बनाये रखना।
6. प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित बिन्दुओं पर बीज अधिनियम के प्रावधान अनुसार निर्णय लेना।
7. पद पर रहते हुए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में आवश्यक कार्य करना।

पद का नाम :– मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी –
शक्तियॉ –
प्रशासनिक – शून्य
वित्तीय – शून्य
अन्य – शून्य

1. निदेशक बीज प्रमाणीकरण की समस्त गतिविधियों का प्रबंधन एवं समन्वय में सहयोग प्रदान करना।
2. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के समस्त तकनीकी एवं आंवटित कार्यो का पर्यवेक्षण करना।

3. रेण्डम आधार पर बीज विधायन केन्द्रो व बीज क्षेत्रों का निरीक्षण कर बीज गुणवत्ता के विषय में निदेशक को सूचित करना।
4. बीजों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की जांच कराना।
5. मुख्यालय से आवश्यक कार्यालय आदेश जारी करना एवं उनकी अनुपालना सुनिश्चित करना।
6. बीज प्रमाणीकरण से संबंधित सभी विभागों (कृषि विश्वविद्यालय, समस्त बीज उत्पादक संस्थाऐं, राज्य सरकार के अधिकारियों से सम्पर्क व समन्वय स्थापित करना।
7. सूचना के अधिकार नियम, 2005 के अन्तर्गत प्रमुख सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।
8. संचालक मण्डल की बैठकों का आयोजना करना एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।
9. निदेशक द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

पद का नाम :– बीज प्रम्रमाणीकरण अधिकारी –

शक्तियॉ –

प्रशासनिक – शून्य

वित्तीय – शून्य

अन्य – शून्य

कर्तव्य –

1. निदेशक एवं मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी से प्राप्त दिशा निर्देशो की अनुपालना सुनिश्चित करना।
2. निदेशक को बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण कार्यो को पूरा करने में सहयोग करना।
3. क्षेत्र में बीज एवं जैविक उत्पादन संस्थाओं, कृषि विभाग एवं अन्य विभागो से सहयोग व सम्पर्क बनाना।
4. इकाई स्तर पर उप व सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को कार्य आवंटन व कार्यो का पर्यवेक्षण करना।
5. इकाई स्तर पर कार्यालय प्रभार के रूप में कार्य करना।
6. गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आधार बीज उत्पादन के 2 प्रतिशत व प्रमाणित बीज उत्पादन क्षेत्र में 1 प्रतिशत क्षेत्र का पर्यवेक्षण निरीक्षण सम्पादित करना।
7. प्रजनक बीज उत्पादन में मोनेटरिंग दल से सम्मिलित होकर निरीक्षण करना।
8. इकाई प्रभारी के रूप में पंजीकरण हेतु बीज विधायन संयत्र का निरीक्षण करना/करवाना।
9. अनुमोदन हेतु मुख्यालय प्रस्ताव प्रेषित करना।
10. शिकायत/अनुश्रवण प्राप्त होने पर मुख्यालय को अवगत करवा कर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करना।
11. इकाई प्रभारी के रूप में राजस्व संबंधी कार्य कर उसका संग्रहण सुनिश्चित करना।
12. क्षेत्र की बीज उत्पादन संस्था से बीज उत्पादकों की सूची प्राप्त करना एवं समय

पर प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित करना।

13. बीज उत्पादन संस्था के पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर मुख्यालय से पंजीयन करवाना।
14. कलेण्डर ऑफ ओपरेशन की पालना सुनिश्चित करना।
15. प्रार्थना किये जाने पर अवधि पार आधार/प्रमाणित बीज का पुनर्मान्यकरण करना/करवाना।
16. बीज उत्पादन संस्थाओं व बीज उत्पादन कृषकों को प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित करना व उन्हे प्रोत्साहित करना।
17. मुख्यालय पर पदस्थापित बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा संस्थापना/वित्त/भण्डारण/तकनीकी पत्रावलियों को निदेशक के सम्मुख सहित प्रस्तुत करना।

पद का नाम :– उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी –

शक्तियॉ :–

प्रशासनिक – शून्य

वित्तीय – शून्य

अन्य – शून्य

कर्तव्य :–

1. मुख्यालय पर पदस्थापित उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, निदेशक मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा आवंटित कार्य अनुसार कार्य सम्पादित करेगें जिसमें क्षेत्र निरीक्षण, विधायन कार्य का पर्यवेक्षण आवंटित इकाईयों से संबंधित पत्रावलियों, रिकार्ड का संधारण करते हुए समस्त सूचनाओं का संकलन व संधारण कर निदेशक के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना सम्मिलित है।
2. इकाई पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के अधीन रहते हुए बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना जिसमें किसी भी बीज उत्पादन संस्थाओं से संबंधित पत्रावलियों–रिकार्ड का संधारण करते हुए समस्त सूचनाओं का संकलन व संधारण किया जाना सम्मिलित होगा। आवश्यकता व आवंटन अनुसार क्षेत्र निरीक्षण व विधायन कार्य का पर्यवेक्षण करना। बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रमाणीकरण कार्य में सहयोग करना।
3. इकाई स्तर पर इकाई प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को कार्य का आवंटन एवं कार्य का पर्यवेक्षण करना।
4. क्षेत्र में बीज उत्पादन संस्थाओं, कृषि विभाग व अन्य संबंधित संस्थाओं/विभागों से सम्पर्क व सहयोग करना।
5. बीज उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम के कम से कम 5 प्रतिशत व प्रमाणित बीज के 1 प्रतिशत क्षेत्र का गुणवत्ता पयवेक्षण निरीक्षण करना।

6. बीज उत्पादन संस्था व बीज विधायन संयत्र के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर इनके पंजीकरण हेतु प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित कर पंजीकरण/नवीनीकरण करवाना।
7. आवश्यकता अनुसार क्षेत्र निरीक्षण व बीज विधायन कार्य का पर्यवेक्षण करना।
8. प्रजनक बीज उत्पादन की मोनेटरिंग निरीक्षण में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
9. मुख्यालय के निर्देशो की पालना सुनिश्चित करना।
10. इकाई स्तर पर कलेण्डर ऑफ ऑपरेशन की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए समय पर प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित करवाना/करना।
11. प्रार्थना किये जाने पर अवधिपार आधार/प्रमाणित बीज का पुनर्मान्ययकरण करना। करवाना।
12. इकाई स्तर पर शिकायत/अनुश्रवण प्राप्त होने पर मुख्यालय को अवगत करवाकर प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना।
13. इकाई प्रभारी के रूप में राजस्व संबंधी समस्त कार्य कर उसका संग्रहण सुनिश्चित करना।
14. बीज उत्पादन संस्थाओं व बीज उत्पादन कृषको को प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर प्रोत्साहित करना।

पद का नाम – सहायक बीज प्रमाण्प्रम्रमाणीकरण अधिकारी –
शक्तियॉ –

प्रशासनिक – शून्य
वित्तयी – शून्य
अन्य – शून्य

कर्तव्य –

1. मुख्य रूप से प्रमाणीकरण कार्यो को सम्पादित करने का प्रमुख दायित्व है। जिसमें आवंटनानुसार व आवश्यकता अनुसार निर्धारित क्षेत्र निरीक्षण करना। प्राप्त/क्रय किये गये रॉ बीज का भौतिक सत्यापन करना। बीज विधायन कार्य का पर्यवेक्षण करना व प्रमाणीकरण कार्य को सम्पादित करना।
2. पुनर्मान्यकरण का कार्य आवंटन अनुसार करना।
3. बीज उत्पादकों को बीज उत्पादन व प्रमाणीकरण प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी प्रदान करना।
4. प्रमाणीकरण से संबंधित रिकार्ड व पत्रावलियों का संधारण करना।
5. सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी को सघन क्षेंत्र में 1500 एकड. या अन्य स्थिति में 800 एकड़ प्रतिवर्ष क्षेत्र निरीक्षण करना।

कर्तव्य –

<u>जैविक प्रमाणीकरण अधिकारी</u> :– संस्था के जैविक प्रमाणीकरण संबंधी समस्त कर्तव्यों को विधिवत रूप से सम्पन्न करवाना/प्रमाणीकरण की सिफारिश करना/प्रमाणीकरण विधि व

समय के दौरान अवहेलनाओं की पूर्ति हेतु समुचित निर्देश प्रदान करना, आवेदन से प्रमाणीकरण शुल्क का निर्धारण व वसूली, तकनीकी जॉच, अपील/शिकायतों का निस्तरण, बोर्ड की बैठक आयोजित करना।

गुण प्रबंधक :– सस्ं था का निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण शाखाओं में समन्वय स्थापित करना। एक्रीडिटेशन प्रोसेस, आंतरिक अंकेक्षण, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानको को लागू करवाना, पॉलिसी मामले, केन्द्र व राज्य सरकार की मीटींग, समितियों का गठन तथा उनकी बैठक आयोजित करना, कार्मिक प्रशिक्षण, भर्ती, पदोन्नति, अपील, शिकायतों की मॉनिटरिंग, जैविक प्रमाणीकरण को सुचारू रूप से सुचालित करने में सहयोग।

मूल्यांकन अधिकारी

जैविक प्रमाणीकरण पंजीकरण, नवीनीकरण, ऑडिट कार्य आवंटन निरीक्षण पश्चात्, मूल्यांकन कार्य तथा निदेशक व जैविक प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा आवंटित अन्य कार्य।

निरीक्षक :– मानको के अनुरूप समय पर विधिनुसार निरीक्षण करना, भ्रमण निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर नियमानुसार विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना, निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण, गोपनीय जानकारी को सावधानी पूर्वक वहन करते हुए रिपोर्ट निरीक्षण अधिकारी (मुल्यांकन अधिकारी) को सोंपना। प्रशिक्षण कार्यक्रम अटेंड करना। जैविक प्रमाणीकरण अधिकारी/गुणवत्ता प्रबंधक को समय समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करना।

अध्याय – 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें प्रक्रियें पर्यवेक्षण और उत्तरदयित्व के माध्यम सम्मिलित है।

3.1 राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा तकनीकी, प्रशासन/वित्त से संबंधित कार्यो के निपटाने में भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय प्रमाणीकरण बोर्ड/संस्था के संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित व समय–समय पर जारी नियम, विनियम, अनुदेश निर्देश और अभिलेख आदि का उपयोग कृत्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है जिसमे प्रमुख है :–

अभिलेख का नाम –

1. बीज अधिनियम, 1966
2. बीज नियम, 1968
3. भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक
4. राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था सेवा नियम, 1980
5. संस्था के यात्रा भत्ता नियम
6. संस्था के चिकित्सा परिचर्या नियम
7. राजस्थान सेवा नियम
8. सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम
9. बीज नियंत्रण आदेश, 1988

10. वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जैविक प्रमाणीकरण हेतु जारी एन.पी.ओ.पीमानक
11. राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था का क्वालिटी मैनुअल
12. राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था की संचालक नियमावली
13. राजस्थान राज्य कार्यालय पद्धती

अध्याय – 4

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

4.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने विभिन्न क्रिया कलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मान/नियमों का कार्यक्रमवार विवरण निम्न प्रकार है –

बीज को प्रमाणित करने हेतु बीज अधिनियम, 1966 में स्थापित भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के आधार पर बीज को प्रमाणित किया जाता है।

प्रशासकीय कार्य के निष्पादन राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था सेवा नियम, 1980 के प्रावधानानुसार किया जाता है। इन सेवा नियमों में किसी प्रावधान के नही होने पर राजस्थान सेवा नियम (आरएसआर) के प्रावधानानुसार कार्य सम्पादित किया जाता है। वित्तीय कार्यो को जी0एफ0एण्ड ए0आर के अनुसार सम्पादित किया जाता है। जैविक प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रयी जैविक उत्पादन मानक व आई0एस0ओ0–65 के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाता है।

अध्याय 5.6

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, निनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख एवं ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियत्रंणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण।

लोक प्राधिकरण के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो (केटेगरीज) के अनुसार विवरण –

क्र. स.	प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक/ नियंत्रणाधीन
1.	सामान्य	कलेण्डर ऑफ ऑपरेशन– प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक अंतिम तिथियॉ निर्धारित की गई है।	परिशिष्ठ –8 पर संलग्न हैं।	निदेशालय/इकाई स्तर पर इकाई प्रभारी के पास उपलब्ध हैं।
2.	सामान्य	क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र– अधिकारी द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के समय जारी की गई निरीक्षण रिपोर्ट	आवश्यक/निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।	इकाई स्तर पर इकाई प्रभारी के पास उपलब्ध हैं।
3.	सामान्य	बीज नमूना स्लिप व अग्रेषण पत्र– बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गये नमूने का विवरण	आवश्यक/निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।	इकाई स्तर पर इकाई प्रभारी के पास उपलब्ध हैं।
4.	सामान्य	भौतिक सत्यापनरिपोर्ट–बीज उत्पादक संस्था द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त/क्रय किये गये रॉ बीज का भौतिक सत्यापन कर वास्तविक प्राप्त /क्रय मात्रा की रिपोर्ट तैयार की जाती है।	आवश्यक/निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।	इकाई स्तर पर इकाई प्रभारी के पास उपलब्ध हैं।

5.	सामान्य	बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम की प्रति–बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बीज नमूने की भौतिक शुद्धता, अकुरण क्षमता, रोग/कीट ग्रस्तता की जॉच कर प्रेषित किये गयेपरिणाम की प्रति।	आवश्यक/निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।	इकाई स्तर पर इकाई प्रभारी के पास उपलब्ध हैं।
6.	सामान्य	ग्रो आउट टैस्ट–आनुवांशिक शुद्धता की जॉच हेतु सम्पादित किये जाने वाले ग्रो आउट टैस्ट की निरीक्षण व परिणाम रिपोर्ट।	आवश्यक/निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है।	निदेशालय
7.	सामान्य	फार्म– II बीज अधिनियम 1966 की धारा 9 के तहत प्रमाणित/आधार बीज के लिए जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र	आवश्यक/निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती हैं।	इकाई स्तर पर
8.	सामान्य	प्रमाणीकरण शुल्क प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लिये जाने वाले निर्धारित शुल्क का विवरण	परिशिष्ठ –4 पर संलग्न है।	निदेशालय/इकाई स्तर पर इकाई प्रभारी के पास उपलब्ध हैं।

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए संस्था की वेबसाईट www.rssopca.in पर प्रमुख नीतियॉ उपलब्ध है।

9.4 विभिन्न स्तर पर निम्न अधिकारियों की संस्तुति लेने के लिए प्राप्त की जाती है –

तकनीकी प्रकरण में सहायक बीज/उप बीज/बीज प्रमाणीकरण अधिकारी वित्तीय प्रकरण में – कनिष्ठ लेखाकार व लेखाधिकारी की तथा प्रशासनीय प्रकरण में – कार्यालयध्यक्ष व बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की संस्तुति विभिन्न स्तरों पर विषय वस्तु अनुसार निर्णय लेने हेतु प्राप्त की जाती है।

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी।
9.6 मुख्य विषय जिन पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.स.	विषय जिसके संबंध में निर्णय लिया जाता हैं।	बीज प्रमाणीकरण के संबंध में निर्णय, सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में तथा प्रशासकीय कार्य के संबंध में निर्णय लेना।
1.	दिशा निर्देश यदि हो तो	———
2.	निर्णय लेने की प्रक्रिया —	आवश्यक/महत्वपूर्ण बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु आवश्यकतानुसार अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है जिसमें तकनीकी अधिकारी के रूप में बीज/उप बीज/सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी व लेखा/भण्डार से संबंधित विषय होने पर लेखाणिकारी या कनिष्ठ लेखाकार को समिति का सदस्य बनाया जाता है। समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के आधार पर अंतिम निर्णय निदेशक द्वारा लिया जाता है। सामग्री क्रय प्रकरण में तकनीकी समिति का गठन किया जाता है जिसकी अनुशंसा पर राज्य स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा विचार कर निविदा प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। क्रय समिति के अध्यक्ष मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विभाग वे सदस्य के रूप में निदेशक राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था व महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य बीज निगम है। निविदा प्रकाशन के माध्यम से सामग्री का क्रय किया जाता है।
3.	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों का पद नाम	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी बीज प्रमाणीकरण अधिकारी लेखाधिकारी निदेशक
4.	निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
5.	निर्णय के विरूद्ध कहॉ व कैसे अपील करें —	अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के समक्ष लिखित में आवेदन कर अपील की जा सकती है।

अध्याय – 7

नीति निर्धारण व कार्य कार्यानवयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण –

7.1 नीति निर्धारण हेतु –

क्र. स.	विषय	कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदार अनिवार्य हैं हॉ/ना	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था
1.	प्रशासकीय/वित्तीय तकनीकी विषय	संस्था की नीति निर्धारण	हॉ	संचालक मण्डल में कृषकों व बीज उत्पादन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का राज्य सरकार द्वारा मनोनयन

7.2 क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से कोई परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान हैं ? यदि हो तो व्यवस्था का विवरण इस प्रारूप में प्रस्तुत करें।

क्र. स.	विषय	कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदार अनिवार्य हैं हॉ/ना	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था
1.	प्रशासकीय/वित्तीय तकनीकी विषय	संचालक मण्डल द्वारा संस्था की निर्धारित नीति	हॉ	निर्धारित नीति की क्रियान्वयन की प्रगति को संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाकर अनुमोदन करवाया जाता है।

अध्याय – 8

ऐसे बोर्डो'' परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में ं या इस बारे में सलाह देनेने के प्रग्रयोजेजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में ं कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी विवरण।

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था एक स्वंपोषी संस्था है। जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह संस्था बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत बीज प्रमाणीकरण का कार्य कर रही है तथा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के नियमानुसार जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है। इस संस्था के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा एक संचालक मण्डल का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष कृषि विभाग राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव कृषि है। इनकी बैठक

समय–समय पर संस्था के एम0ओ0यू0 के नियमानुसार वर्ष में समय पर बुलाई जाती है। संचालक मण्डल के सदस्यों की सूची निम्न प्रकार हैंः–

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार अध्यक्ष
2. आयुक्त कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर सदस्य
3. निदेशक उद्यान, राजस्थान सरकार, जयपुर। सदस्य
4. निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर। सदस्य
5. दो वरिष्ठ, कृषि वैज्ञानीक (दोनो कृषि विश्वविद्यालयों से मनोनीत) सदस्य
6. उपशासन सचिव, वित्त व्यय (I) राजस्थान सरकार। सदस्य
7. कृषि समुदाय से प्रगतिशील कृषक 4 सदस्य
8. केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा मनोनीत (उप आयुक्त गुण नियंत्रण सदस्य कृषि मंत्रालय) भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण पदेन सचिव संस्था, जयपुर।

अध्याय – 9

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम	मोबाईल नम्बर
	मुख्यालय, जयपुर कार्यालय– 2227104, Fax 2227456		
1.	श्री मधुसूदन शर्मा	निदेशक	9414007400
2.	श्री अब्दुल जब्बार	मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777701
3.	श्री पी.सी. शर्मा	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9829744469
4.	श्री के.सी.जाट	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777712
5.	श्री ए.के.जैन	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777704
6.	कुमारी अरूणा राजावत	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777711
7.	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9887161540
8.	श्रीमति चेतना जांगिड़	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777751
9.	श्रीमति दीपिका सैनी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777785
10.	श्रीमति गीतांजली चंदेल	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777220
11.	श्री दौलत सिंह	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777979
12.	श्री बी. एल. टाँक	वरिष्ठ निजी सहायक	9785777715
13.	श्री एस. के. शर्मा	सहायक लेखाअधिकारी द्वितिय	9785777716
14.	श्री इन्द्रराज वर्मा	कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9785777780
15.	श्रीमती जोयमा बाबू	निजी सहायक	7597579415
16.	श्री शंकर लाल सैनी	सहायक प्रोग्रामर	9785777557
17.	श्री सुनित कुमार जैन	वरिष्ठ लिपिक	9785777752
18.	श्री अशोक अग्रवाल	वरिष्ठ लिपिक	9785777717
19.	श्री भगवान पुरी	वरिष्ठ लिपिक	9785777754
20.	श्री दीपचन्द	वरिष्ठ लिपिक	9785777721
21.	श्रीमती सन्तोष देवी	कनिष्ठ लिपिक	9785777709
22.	श्री भंवर सिंह	वाहन चालक	9785777767
23.	श्री इन्दर सिंह	वाहन चालक	9785777747
24.	श्री ओमप्रकाश तिवाड़ी	जमादार	9001692196

25.	श्री रामस्वरूप रैगर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
1.	**जयपुर, इकाई, कमरा नंबर 333,पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर**		
1.	श्री जी.आर. शर्मा	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9413385489
2.	श्री भुवनेश्वर टॉक	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777710
3.	श्री राजेन्द्र आर्य	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777784
4.	कु. प्रीति अग्रवाल	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777800
5.	श्रीमती ज्योति वर्मा	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777005
6	सुश्री प्रेम चौधरी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777100
7.	श्री रोहित यादव	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9694720007
2.	**श्रीगंगानगर कार्यालय 0154– 2460625, 2 एफ 34,जवाहर नगर, श्रीगंगानगर**		
1.	रिक्त	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	
2.	श्री एस.के. पाराशर	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777762
3.	श्रीमति निरूपमा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9602193538
4.	श्री लक्ष्मण बैरवा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777727
5.	श्री रोहिताश जाट	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777724
6.	श्री जय सिंह	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9891049395
7.	श्री रजनिश कुमार	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785120007
8.	श्रीमती रितु सैनी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9413724627
9.	श्री विपिन वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	9414873078
10.	श्री बद्रीराम	वाहन चालक	9352077675
3.	**सूरतगढ़ कार्यालय – 01509–220176, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर रोड, सूरतगढ (श्रीगंगानगर)**		
1.	रिक्त	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	
2.	श्री श्रवण कुमार	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	8003378499
3.	श्री रूपनारायण जाजोरिया	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9928572348
4.	श्री सुरेन्द्र पाल चौधरी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777759
5.	श्री धर्मपाल सिंह	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	7597645224
6.	श्री मुकुन्द राम यादव	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9928990006
7.	श्री बी. एल. यादव	वरिष्ठ लिपिक	9928500671

4.	**हनुमानगढ़ कार्यालय 01552–244257, 9/15, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन –335512**		
1.	श्री कमलेश कुमार मीणा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777199
5.	**कोटा कार्यालय – 0744– 2326518, कारखाना बाग, पुलिस लाईन के पास, कोटा**		
1.	डॉ0 गिरिराज किशोर कुल्मी	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777993
2.	श्री एम0के0 वर्मा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777734
3.	श्री सुरेश मालव	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777006
4.	श्रीमती लीना चौबीसा	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777757
5..	श्री रमेश चंद	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777742

6.	श्री नीरज पाटीदार	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	7665262466
7.	सुश्री मीनाक्षी जैन	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777009
8.	श्री कमलेश कुमार मीणा	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777795
9.	सुश्री सोनिया श्रीवास्तव	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9694694206
10.	श्री भगवत सिंह	वाहन चालक	9785777764
11.	श्री मुकुट विहारी शर्मा	सहा0कर्म0	9785777782
12.	श्री रामचरण शर्मा	सहा0कर्म0	9799921255
13.	श्री लीलाधर पाण्डे	सहा0कर्म0	9571694118
6.	**पीलीबंगा कार्यालय 01508–233983, पुरानी धान मण्डी, नोहरा नं0–62, पीलीबंगा (हनुमानगढ)**		
1.	श्री अमरचन्द्र बैरवा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9414580274
2.	श्री ओमप्रकाश बलाई	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785771110
3.	श्री दिनेश चौधरी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785771117
4.	श्री महेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	9461111474
7.	**घड़साना, 96 ए, न्यू धानमण्डी, रसेवट ट्रेडिंग कंपनी, नियर हनुमान मन्दिर घडसाना (श्री गंगानगर)**		
1.	रिक्त	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	
2.	श्री संजीव कुमार	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785220007
8.	**जोधपुर कार्यालय – 0291 2552891 182–ए, पोलो– II, पावटा, जोधपुर**		
1.	श्री पूनम चन्द्र दर्जी	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777446
2.	श्री नेमीचन्द माली	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	8955765083
3.	श्री गंगाराम	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9929745268
4.	श्री जोगेन्द्र सिंह	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777004
9.	**अजमेर, प्लाट नंबर 7–ए, आदर्श नगर, पुलिस चौकी के सामने, अजमेर**		
1.	श्री रामप्रसाद डिडेल	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777789
2.	श्री शिव प्रकाश महेश्वरी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777728
3.	श्री मोहन लाल बोचल्या	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785770333
4.	श्री महेन्द्र सिंह चौधरी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785770004
10.	**चित्तौडगढ़, द्वारा–अजीत सिंह, म0न0–90,बिलोची मन्दिर के सामने, सिंधी कॉलोनी, प्रताप नगर, चित्तोडगढ**		
1.	श्री भुराराम रायका	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777729
2.	श्री संतोष कुमार दुलानी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777002
3.	श्री राकेश कुमार यादव	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777033
11.	**बांसवाड़ा, बोरवट फार्म, दाहोद रोड, बांसवाडा**		
1.	डा0 हितेन्द्र कुमार त्रिवेदी	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9413997744
2.	श्री अशोक कुमार धाकड़	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777044
12.	**भरतपुर कार्यालय 05644–225823, नीमदा गेट, भरतपुर**		
1.	रिक्त	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	
2.	श्री राजेश कुमार	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777725

3.	सुश्री लतेश चौहान	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785770005
4.	श्रीमती नेहा मीणा	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777110
13.	**अलवर, दुकान नं0–96–97, कॉला कुँआ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर**		
1.	रिक्त पद	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	
2.	श्री राजेश चौधरी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777756
14.	**खेरली, आर.एस.एस.ओ.पी.सी.ए., द्वारा श्रीमति आशा अग्रवाल, वार्ड नंबर 16, पोस्ट आफिस के पास, खेरली (अलवर)**		
1.	श्री होडी लाल मीणा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777743
15.	**झालावाड़**		
1.	श्री राधेश्याम वैष्णव	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777116
16.	**बांरा**		
	श्री सुरेश चन्द शर्मा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777735
17.	**उदयपुर**		
	श्री विनित व्यास	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	9785777122

अध्याय – 10

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, प्रत्येक कर्मचारी प्राप्त जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रामिक और उसके निर्धारण की पद्धती – राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को वेतन के रूप में मासिक पारिश्रामिक दिया जाता है।

अध्याय – 11

सभी योजनाओं,, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणां पर रिपोट की विशिष्टियां, उपदर्शितत करते हुएए अपने प्रत्त्येकेक अभिकरण को आवंटित बजट।

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना) संबंधित नही

अध्याय – 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसेसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

संस्था मे कार्यक्रम वार निष्पादन हेतु विशिष्ट राशियां आवंटित नही की जाती।

समस्त बीज एवं जैविक कार्यक्रम संबंधित बीज उत्पादन संस्थाओं, जैविक उत्पादन संख्यक एवं वृद्व स्तर पर बीज एवं जैविक कार्यक्रम लेने वाले कृषकों के व्यापक हक नियमानुसार प्रमाणीकरण प्रकिया अपनाई जाती है।

अध्याय – 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओ की विशिष्टयां।

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारो के प्राप्ति कर्ताओं के संबंध में विवरण संबंधित नही।

अध्याय – 14

किसी इलैक्ट्रोनिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके धारित हो।

14.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाऐं :– बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं प्रगति के नियमित प्रबोधन हेतु संस्था द्वारा प्रत्येक स्तर पर सघन प्रयास किये जाते है। संस्था की विभिन्न इकाईयों से समय समय पर विभिन्न सूचनाऐं प्रत्येक माह मंगवाई जाती है जिनका संकलन कम्प्यूटर में किया जाता है ओर आवश्यकता होने पर इनका उपयोग प्रस्तुतीकरण में इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के प्रयोग से किया जाता है।

अध्याय – 15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

15.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण निम्न प्रकार हैं। –

1. पुस्ताकालय – राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय पंत कृषि भवन की तृतीय मंजिल पर स्थिति है जहॉ बीज से संबंधित आवश्यक पुस्तके संस्था के पुस्तकालय में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त भवन में कृषि विभाग का एक पुस्तकालय उपलब्ध है जिसमें बीज उत्पादन, बीज प्रमाणीकरण, जैविक खेती, फसल प्रबंधन एवं अन्य तकनीकी सामग्री/साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

2. सूचना पटल – संस्था के प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध सूचना पट्ट पर महत्वपूर्ण गतिविधियॉ आदि का विवरण लगाया जाता है।

3. अभिलेखो का निरीक्षण – विभिन्न प्रकार के अभिलेख संस्था के मुख्यालय व अन्य इकाईयों पर उपलब्ध रहते है जिनका अवलोकन किया जा सकता है।

4. विभागीय पुस्तके – (क) संस्था द्वारा कृषको/बीज उत्पादको व सामान्य जन को तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु निम्न तकनीकी साहित्य का प्रकाशन करवाया गया है –

(1) हैण्ड बुक ऑफ सीड सर्टीफीकेशन
(2) नोटीफाईड काइंड एण्ड वैरायटीज
(3) बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण तकनीकी
(4) जैविक खेती प्रबंधन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया

(ख) प्रतिवर्ष संस्था की वार्षिक रिपोर्ट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है जिसमें संस्था की प्रगति का लेखा जोखा प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की सूचना कृषि विभाग की वेबसाइट rssopca.in पर उपलब्ध है।

अध्याय – 16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम एवं अन्य विशिष्टियॉ –

16.1 लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरिटी के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है –

लोक प्राधिकरण का नाम – राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था केन्द्रीय सरकार के ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' की धारा 5 के अनुसरण में राज्य/खण्ड/जिला स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों को क्रमशः अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधकारी नियुक्त कियाजाता है –

अपीलेट अधिकारी
(राज्य स्तर पर)

क्र. सं.	*नाम*	*पदनाम*	*एस.टी.डी कोड*	*दूरभाष*		*फैक्स*	*ई–मेल*	*पता*
				कार्यालय	मोबाईल नम्बर			
01.	श्री मधूसूदन शर्मा	निदेशक	0141	2227104	9414007400	2227456	dir[dot]rssopca[at]rajasthan[dot]gov[dot]in	*पंत कृषि भवन, जयपुर*

लोक सूचना अधिकारी
(राज्य स्तर पर)

क्र. सं.	*नाम*	*पदनाम*	*एस.टी.डी कोड*	*दूरभाष*		*पता*
				कार्यालय	मोबाईल नम्बर	
01.	श्री अब्दुल जब्बार	मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	0141	2227104	9785777701	*पंत कृषि भवन, जयपुर*

सहायक लोक सूचना अधिकारी
(जिला स्तर पर)

क्र. स.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दूरभाष		पता
				कार्यालय आवास	मोबाईल नम्बर	
1.	श्री एस.के. पाराशर	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	0154	2460625	9785777762	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** 2 एफ 34,जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
2.	डॉ गिरिराज किशोर कुल्मी	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	0744	2326518	9785777993	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** कारखाना बाग, पुलिस लाईन के पास, कोटा ।
3.	श्री ए.सी.बैरवा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	01552	262457	9414580274	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ,** 9/15, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन –335512
4.	श्री ए.सी.बैरवा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	01552	262457	9414580274	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ,** पुरानी धान मण्डी, नोहरा नं0–62, पीलीबंगा।
5.	श्री जी.आर.शर्मा	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	0141	––	9413385489	राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, कमरा नं. 337, पंत कृषि भवन, जयपुर इकाई।
6.	श्री पूनम चन्द दर्जी	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	0291	2552891	9785777446	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** 182–ए, पोलो– II, पावटा, जोधपुर।

सहायक लोक सूचना अधिकारी
(जिला स्तर पर)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दूरभाष		पता
				कार्यालय आवास	मोबाईल नम्बर	
7.	श्री बी. आर. रायका	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	01472	——	9785777729	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** द्वारा–अजीत सिंह, म0न0–90, बिलोची मन्दिर के सामने, सिंधी कॉलोनी,प्रताप नगर, चित्तोडगढ़
8.	श्री राजेश चौधरी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	0144	2344687	9785777756	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** दुकान नं0–96–97, कॉला कुँआ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर
9.	श्री राजेश कुमार	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	05644	225823	9785777725	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** नीमदा गेट, भरतपुर ।
10.	श्री एस.पी. माहेश्वरी	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	——	——	9758777758	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** प्लाट नंबर 7–ए, आदर्श नगर, पुलिस चौकी के सामने, अजमेर
11.	श्री श्रवण कुमार	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	01509	220176	9785558499	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ,** औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर रोड, सूरतगढ (श्रीगंगानगर)
12.	श्री सजीव कुमार	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	——	——	9785220007	**उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी**, 96 ए, न्यू धानमण्डी, रसेवट ट्रेडिंग कंपनी, नियर हनुमान मन्दिर घडसाना (श्री गंगानगर)
13.	श्री एच. के त्रिवेदी	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	02962	——	9413997744	**बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,** बोरवट फार्म, दाहोद रोड, बांसवाडा
14.	श्री होडी लाल मीणा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	——	——	9785777743	राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, द्वारा आशा अग्रवाल वार्ड संख्या 16, पोस्ट ऑफिस के पास, खेरली (अलवर)
15.	श्री राधेश्याम वैष्णव	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	——	——	9785777116	झालावाड़
16.	श्री सुरेश चन्द शर्मा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	——	——	9785777735	बांरा
17.	श्री विनीत व्यास	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	——	——	9785777122	उदयपुर

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पचात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगेगा।

1. संस्था प्रत्येक वर्ष में वार्षिक एवं संधारण बैठक के अन्दर वर्ष में किये गये समस्त बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम की पूर्ण रूपरेखा वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित करती है। जिसको संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन करवाया जाता है। और इन प्रतिवेदनों का वार्षिक रूप से संकलन कर सूचनाओं का अद्यतन किया जाता है।